न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 56/2022

जीसीएमएस नम्बर : 2022/118

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
सुरेश कुमार मीणा पुत्र पुराराम जाति मीणा निवासी कोलपुरा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		1. छोगाराम पुत्र सालुराम 2. मंगलाराम पुत्र सालुराम 3. लाबूराम पुत्र सालुराम जातिगण राईका (देवासी) निवासीगण कोलपुरा तहसील मारवाड़ जंक्शन 4. ग्राम पंचायत धनला जरिये सरपंच ग्राम पंचायत धनला तहसील मा.जं. 5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नवीन दवे।
2. अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश आर्य।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

—: निर्णय :—

दिनांक : 23/01/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत धनला द्वारा मिसल संख्या 24/1977—78, प्रस्ताव संख्या 14 दिनांक 10.10.1981 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 23 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत से रेकर्ड तलब किये जाने पर, ग्राम पंचायत से रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत ने गै.मु.नाडी की भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। उक्त पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत ने न तो कोई मिसल कायम की, न ही भूमि निरीक्षण किया गया, न ही आपत्ति नोटिस जारी किया गया और न ही अप्रार्थी द्वारा कोई आवेदन पेश किया गया। जैर आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता का कब्जा था जिसके विरूद्ध धारा के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें आर. आई. ने अपनी रिपोर्ट में माना कि अतिक्रमी ने नाडी की चारागाह भूमि में अतिक्रमण कर रखा है। उसके उपरान्त भी ग्राम पंचायत ने नियमों से परे जाकर विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत ने विधिक प्रावधानों की पालना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इस हेतु ग्राम पंचायत ने नियमानुसार मिसल दर्ज करते हुये, नक्शा, भूमि निरीक्षण एवं आपत्ति नोटिस जारी करते हुये सम्पूर्ण कारवाई की है। यदि जैर आराजी आबादी भूमि में नही है तो इसका नुकसान अप्रार्थी क्यों भुगते। अप्रार्थी ने नियमानुसार जैर निगरानी पट्टा जारी करवाया है। इसलिये अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज फरमावे।

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत धनला द्वारा मिसल संख्या 24/1977–78, प्रस्ताव संख्या 14 दिनांक 10.10.1981 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 23 के विरूद्ध पेश की है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी रूप में यह जांच नहीं की कि उक्त भूमि प्रतिबंधित है या आबादी ? इस तथ्य के निर्धारण हेतु ग्राम पंचायत को पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की जानी थी तथा इसके अतिरिक्त पंचायती राज नियमों के तहत स्वयं को भी जांच करवानी थी, जो नहीं करवाई गई। तथाकथित आबादी का नक्शा भी प्रस्तुत नहीं किया। ग्राम पंचायत रियायती दर पर/निःशुल्क भू–खण्ड आवंटन करने से पूर्व प्लान का नक्शा बनाकर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सक्षम अधिकारी से अनुमादेन प्राप्त नहीं किया गया। जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं किया जा सकता है कि आवंटी का पट्टा किस खसरा नम्बर की भूमि में या किस स्थान पर जारी किया गया है।

हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी धनला की अतिक्रमण रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण का खसरा संख्या 318 किस्म गै.मु.नाडी में अतिक्रमण है तथा इस रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 31.05.2016 के अनुसार भी अप्रार्थीगण का जैर आराजी में मौके पर कब्जा और अतिक्रमण है। ग्राम पंचायत धनला ने अपने पत्र दिनांक 25.07.2022 के द्वारा अवगत करवाया कि जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध नहीं है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 269 – विक्रय की शक्ति से आबादी भूमि के कतिपय प्रवर्गों का अपवर्जन के उपनियम 3 के तहत "पंचायत सर्किल के भीतर, कृषि भूमियों, वन भूमियों तथा प्रकृल्प बंजर भूमियां, जो आबादी भूमियां नहीं है, का विक्रय या आवंटन राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, 1955 या राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा शासित होगी।" साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत भी गैर मुमकिन नाडी किस्म की भूमि, अन्य प्रयोजनार्थ हेतु प्रतिबंधित है।

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है। जिसके अनुसार नियम 256 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ नक्शा तैयार करने के व्यय पेटे दो रूपये की राशि जमा करानी होगी। इसके पश्चात नियम 257 के तहत नक्शा तैयार किया जायेगा एवं नियम 258 के तहत मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा पंचों द्वारा "क से घ" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 259 के तहत अस्थायी निर्णय करने एवं नियम 260 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 260 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 261 के तहत प्रदत्त हैं। नियम 262 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 263 के तहत भुगतान तथा भुगतान न करने पर पुनविक्रय के प्रावधान है एवं नियम 264 के तहत नीलामी की प्रक्रिया उल्लेखित है व नियम 265 के तहत किये गये नीलाम की पुष्टि के प्रावधान है। नियम 266 के तहत

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण एवं भूमियों का निःशुल्क आंवटन के प्रावधान नियम 267 में उल्लेखित है। नियम 268 के तहत हस्तान्तरण तथा आवंटन अनुमोदनाधीन एवं आबादी का विक्रय से अपवर्जन के प्रावधान नियम 269 में प्रदत्त है। किसी आबादी भूमि का नियम 263 के तहत भुगतान कर दिया जाने, नियम 265 नीलामी की पुष्टि करने और नियम 270 के अधीन कोई अपील नहीं होने की स्थिति में नियम 271 के तहत विक्रय–विलेख जारी किये जाने का प्रावधान है। जिसका परिक्षण एवं वैद्यता की जांचने के लिए ग्राम पंचायत के रेकर्ड की उपलब्धता वांछनिय है, ग्राम पंचायत के समक्ष जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड ही नहीं है, जो हस्तगत पट्टे को सन्देहास्पद बनाती है।

इसके अतिरिक्त जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 256 से 270 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड भी अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध नहीं होना, हस्तगत पट्टे की सत्यता पर प्रश्नचिह्न अंकित करता है। जैर निगरानी पट्टा एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा किसी भी रूप में इस तथ्य का परीक्षण नहीं किया गया कि अप्रार्थी सन्दर्भित नियम के तहत पट्टा प्राप्त करने की पात्रता रखता है या नही ? जबकि पत्रावली पर उपलब्ध मौका जांच रिपोर्ट में यह पाया है कि जैर निगरानी पट्टा प्रतिबंधित भूमि में जारी किया गया है, जो विधिविरूद्ध है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1999 3 RLW(Raj) 1478 Narayan Lal Versus State & Ors. अनुसार – Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, Sec. 97 and Panchayat General Rules, 1961 – Revision by Collector of the order passed by Panchayat – Cancellation of patta granted by Panchayat – ``Can Panchayat sell public land? – The land which is neither Abadi land nor it belong to panchayat – Panchayat has no right or authority to sell the public land to any one. जिससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 में दी गई प्रक्रिया की किसी भी रूप में पालना नहीं की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत धनला द्वारा मिसल संख्या 24/1977–78, प्रस्ताव संख्या 14 दिनांक 10.10.1981 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 23 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति सम्बन्धित को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 29/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)